

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पत्र संख्या-वनभूमि-17/2020-3313 व०प०, राँची, दिनांक- 22/10/2020

प्रेषक,

सुनील कुमार,
विशेष कार्य पदाधिकारी

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

विषय:- सोनुवा-पनसुवा-लाढ़ाई-गुदड़ी पथ के कि०मी० 0.00 से 41.56 कि०मी० तक चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 18.37 हे० वनभूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- आपके कार्यालय का पत्रांक-844 दिनांक-12.10.2020

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में अनुरोध है कि निम्नांकित बिन्दुओं पर प्रतिवेदन/अभिलेख/मंतव्य विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय :-

1. प्रस्तावित पथ की पूर्ण लम्बाई का राजस्व पदाधिकारी द्वारा Authenticated land schedule.
2. जंगल-झाड़ी भूमि के संबंध में उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम के ज्ञापांक-1105(B)/रा० दिनांक-11.09.2020 द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र (छायाप्रति संलग्न) के आलोक में प्रस्तावित वनभूमि को रकबा में संशोधन करते हुए प्रस्ताव के पार्ट-I, II, III एवं IV की प्रति।
3. CWLW, झारखण्ड का मंतव्य।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

**कार्यालय :- प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।**

ज्ञापांक: 915 दिनांक: 28.10.20

प्रतिलिपि:- प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन्यप्राणी एवं मुख्य वन्यप्राणी प्रतिपालक, झारखण्ड, राँची /क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा/वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट/कार्यपालक अभियंता RCD रोड प्रमंडल मनोहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि राज्य सरकार द्वारा मांगा गया वांछित प्रतिवेदन कृपया इस कार्यालय में अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

ज्ञापांक-994 दिनांक-03-11-2020

प्रतिलिपि-वन प्रमंडल पदाधिकारी, पोड़ाहाट/वन प्रमंडल पदाधिकारी, सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेशानुसार वांछित प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना जाय।

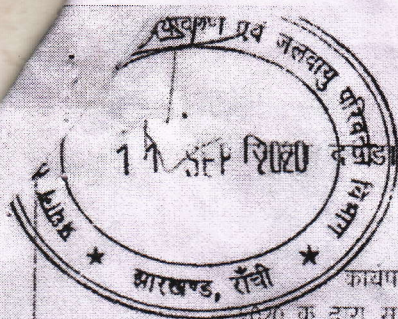
अविलम्ब उपलब्ध कराना जाय।

वन संरक्षक

प्रादेशिक अंचल, चाईबासा

प्रधान मुख्य वन संरक्षक-सह-कार्यकारी निदेशक,
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

(सुनील कुमार)
28.10.20



दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा का कार्यालय।
(राजगढ़ शाखा)

(अनापत्ति प्रमाण पत्र)

कार्यपालक अभियंता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल मनोहरपुर के पत्राक- 686 दिनांक 31.08.2020 के द्वारा सानुआ-पनसुवो-लोढाई-गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य के लिए सानुआ एवं गुदडी अंचलान्तर्गत कुल 216 हेक्टर गैरमजबूत जंगल-झाडी भूमि का अपयोजन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए अनुरोध किया गया है।

अबत अधिकारी गुदडी के पत्राक- 71 दिनांक 04.09.2020 एवं अंचल अधिकारी सानुआ के पत्राक- 290 दिनांक- 04.09.2020 के द्वारा समर्पित भूमि सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त है। भूमि सत्यापन सर्वेक्षण प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार गुदडी अंचलान्तर्गत प्लॉट नं० 468 अथवा किस्म जमीन डुगरी है। वन प्रमण्डल पदाधिकारी, राजगढ़ वन प्रमण्डल चाईबासा के पत्राक-864 दिनांक-11.09.2020 के द्वारा प्रतिवेदन किया गया है कि वर्णित भूमि अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है।

अतः उक्त के आलाक में विभागीय पत्राक- 1817/रा० दिनांक-30.04.2015 के आलाक में सानुआ-पनसुवो-लोढाई-गुदडी पथ के कि०मी० 0.00 से कि०मी० 41.56 तक के चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य हेतु किस्म जमीन डुगरी का छोड़कर निम्नांकित गैरमजबूत भूमि Deemed Forest (जंगल-झाडी) का सैद्धान्तिक रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है -

क्र०	जिला	अंचल	मौजा	थाना नं०	प्लॉट नं०	रकबा (हे० में)	किस्म जमीन
1					625	0.23	जंगल-डुगरी
		सानुआ	पनसुवो	542	638	0.28	जंगल-झाडी
					कुल	0.51 हे०	
			कुँतिया	179	56	0.02	जंगल-झाडी
			सदर	180	111	0.01	जंगल-झाडी
					214	0.13	जंगल-झाडी
					218	0.02	जंगल-झाडी
					236	0.09	जंगल-झाडी
	पश्चिमी सिंहभूम		लोढाई	181	241	0.39	जंगल-झाडी
					819	0.02	जंगल-झाडी
					824	0.02	जंगल-झाडी
2		गुदडी			678	0.03	जंगल-झाडी
					800	0.01	जंगल-झाडी
						0.32	जंगल-झाडी
					804	0.02	जंगल-झाडी
					886	0.01	जंगल-झाडी
			गत	182	688	0.01	जंगल-झाडी
					964	0.45	जंगल-झाडी
					कुल	1.57 हे०	
					रकबा		

समर्पित कुल रकबा 2.08 हे०

उपरोक्त विवरण के अनुसार सन्निहित भूमि वन मजबूत Deemed Forest भूमि (जंगल-झाडी) है तथा अधिसूचित वन भूमि तथा संरक्षित वन भूमि से बाहर है। क अपयोजन हेतु मानवीय सर्वेक्षण व्यापकता द्वारा

प्रधान सचिव कोषाग

वर, जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

नं०

15 SEP 2020

राजगढ़, राँची

अंचल

16/9/2020

पुष्पि रेडिया

16/9/2020

2563
18/09/2020

(25)

(2)

भारत आदेश के आलापक में प्रकाशित एन.सी.एन. वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार से पूर्वानुमति प्राप्त हो चुका है। पूर्वानुमति प्राप्त होने के पश्चात इसके विधिवत हस्तांतरण हेतु प्रयाक्ता एजन्सी द्वारा मजरा भूमि के हस्तांतरण के प्रस्ताव की प्रक्रिया की तरह प्रस्ताव समर्पित किया जायेगा। मजरा भूमि (Deemed forest) भूमि के सशुल्क हस्तांतरण हेतु लोककल्याण शाखाद्वारा निर्गत किया जायेगा।

मजरा भूमि (Deemed forest) भूमि (जंगल-शाली) के लिए निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र के बाद प्रयाक्ता एजन्सी का उक्त भूमि का अनुमति नवतक नहीं दी जायेगी जबतक उसके विधिवत हस्तांतरण हेतु लोककल्याण शाखाद्वारा निर्गत नहीं किया जायेगा।

हं/-

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।

जापान- 1105(B)/710 दिनांक- 11-09-2020

- प्रतिनिधि- कार्यपालक अभिप्रेता पथ निर्माण विभाग पथ प्रमण्डल मनाहरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि- अंचल अधिकारी सानुआ गुदडी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि- अनुमण्डल प्रदाधिकारी पांडावट-चक्रधरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
- प्रतिनिधि- वन प्रमण्डल प्रदाधिकारी पांडावट वन प्रमण्डल चाईबासा को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिनिधि- प्रधान सचिव वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग झारखण्ड, राँची / सचिव राजस्व निगम एवं भूमि सुधार विभाग झारखण्ड, राँची / सचिव पथ निर्माण विभाग झारखण्ड, राँची को सादर सूचनार्थ समर्पित।

जिला दण्डाधिकारी-सह-उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा।